

औद्योगिक गलियारा में सियर और सरजूपार को शामिल करने की मंजूरी

कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई गीडा बोर्ड की 63वीं बैठक, धुरियापार का लेआऊट भी अनुमोदित

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। गीडा का लैंड बैंक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 600 एकड़ को बढ़ाकर 700 एकड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारा का विस्तार करते हुए इसमें सियर और सरजूपार गांव को भी शामिल करने की मंजूरी मिल गई है।

गीडा प्राधिकारी बोर्ड की 63वीं बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। बुधवार को हुई इस बैठक में धुरियापार और गीडा क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों के ले आऊट को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा गीडा में प्रस्तावित एक्सपो सेंटर के निर्माण पर भी चर्चा की गई।

कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में सीईओ अनुज मलिक ने नए प्रस्ताव रखे, जिस पर चर्चा के बाद प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। सीईओ ने बताया कि बैठक में

5500

एकड़ में धुरियापार में
प्रथम चरण में 1600 एकड़
जमीन चिह्नित होगी

गीडा का लैंड बैंक भी बढ़ाया
जाए, वार्षिक लक्ष्य में 100
एकड़ भूमि की बढ़ोतरी

अगले महीने सीएम करेंगे शिलान्यास

गीडा की तर्ज पर ही धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है। 5500 एकड़ में बनने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में 1600 एकड़ जमीन चिह्नित कर उनका बैनामा विकास प्राधिकरण के पक्ष में कराया जा रहा है। धुरियापार की बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन व उसके पास के क्षेत्र मिलाकर दो सेक्टर विकसित किए जाने हैं। इसी के प्रस्तावित ले आऊट को गीडा बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। अब इस सेक्टर में सड़क, नाली व पथ प्रकाश कार्य का विकास होगा। इसके लिए जून में धुरियापार में भव्य कार्यक्रम आयोजित कराने की तैयारी है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित ले आऊट को मंजूरी दी गई।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ विकसित औद्योगिक गलियारा के विस्तार में अधिसूचित दो ग्रामों सियर व सरजूपार को सम्मिलित किए जाने पर सहमति बन गई।

धुरियापार क्षेत्र में दो ग्रामों के लिए संस्तुत दरों का अनुमोदन, रख-रखाव शुल्क का तीन वर्षों के लिए वृद्धि का अनुमोदन, गीडा सेक्टर-26 में औद्योगिक योजना के

ले-आऊट का संशोधन किया गया। इसके अलावा गीडा सेक्टर-27 एवं 28 के विस्तार के ले-आऊट का अनुमोदन, गीडा अधिसूचित क्षेत्र धुरियापार के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु तैयार किए गए सेक्टर के ले-आऊट का भी अनुमोदन किया गया।

उद्यमियों हेतु एक्सपो सेंटर-प्रदर्शनी हाल के निर्माण एवं

संशोधनों के साथ बजट व कार्य-योजना 2025-26 को भी मंजूरी दी गई। धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित लैंड बैंक की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिया कि भूमि क्रय करने की प्रक्रिया को तेज किया जाय।

सीईओ ने बताया कि वर्तमान में गीडा के लैंड बैंक लगभग 1000 एकड़ की उपलब्धता को और बढ़ाया जाय तथा नए अधिग्रहण के वार्षिक लक्ष्य को 600 एकड़ से बढ़ाकर 700 एकड़ किया जाय। गीडा द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति ऑनलाइन ही की जाय। किसी भी दशा में ऑफलाइन मानचित्र को स्वीकृति न किया जाय।

गीडा के सेक्टर पांच स्थित 33/11 विद्युत उपकेंद्र तथा संबंधित लाइनों के शिफ्टिंग के संबंध में बताए जाने पर बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत उपकेंद्र को शिफ्ट करने के साथ ही विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाय।